फॉर्म नं. सीएए–2

धारा 230 (3) और नियम 6 और 7 के अनुसार,
माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष,
कंपनी आवेदन संख्या (सीएए)47/सीएचडी/सीएचडी/2022
कंपनी (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के मामले में।

और

के मामले में

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18–19, सेक्टर–28सी, चंडीगढ़–160002
... (हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1)

जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एससीएफ 18–19, सेक्टर–28सी, चंडीगढ़–160002
... (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2)

चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकों और जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 26 सितंबर, 2022 (**'आदेश'**) के एक आदेश द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (**'एनसीएलटी'/'ट्रिब्यूनल'**), चंडीगढ़ बेंच ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") और जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (**"योजना"**) के समामेलन के प्रबंधक की योजना में शामिल प्रबंधन पर विचार करने और यदि उचित लगता है, अनुमोदन के लिए, संशोधन के बिना या साथ के उद्देश्य के लिए आयोजित हस्तांतरणकर्ता प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठक और हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूतित लेनदारों और अप्रतिभूतित लेनदारों की बैठकें करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें निर्देशित के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर अपनी संबंधित बैठकों में भाग लें।

बैठकों की अनुसूची :

हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी 1 के संबंध में :

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन व तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	रिमोट ई–वोटिंग अवधि
1.	प्रतिभूतित लेनदार	शनिवार, 19 नवंबर, 2022	सुबह 9.30	पंजीकृत कार्यालय, वीसी द्वारा बैठकों के स्थान	**से** : 16 नवंबर, 2022 से सुबह 09.00 (भा.मा.स) **तक** : 18 नवंबर, 2022 से शाम 05.00 (भा.मा.स)
2.	अप्रतिभूतित लेनदारों		सुबह 10.30		

हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी 2 के संबंध में :

क्र. सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन व तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	रिमोट ई–वोटिंग अवधि
1.	इक्विटी शेयरधारक	रविवार, 20 नवंबर, 2022	दोपहर 03.30	पंजीकृत कार्यालय, वीसी द्वारा बैठकों के स्थान	**से** : 17 नवंबर, 2022 से सुबह 09.00 (भा.मा.स) **तक** : 19 नवंबर, 2022 से शाम 05.00 (भा.मा.स)
2.	प्रतिभूतित लेनदार		दोपहर 12.30		
3.	अप्रतिभूतित लेनदार		दोपहर 01.30		

व्याख्यात्मक विवरणों और अपेक्षित संलग्नकों के साथ उपरोक्त बैठकों के संबंधित सूचनाओं का पूरा सेट (**ए**), हस्तांतरिती कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है, जिनके नाम 07.10.2022 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं और (**बी**), प्रतिभूतित लेनदारों/अप्रतिभूतित लेनदारों जिनके नाम 30.06.2022 को संबंधित कंपनियों की पुस्तकों में प्रदर्शित हैं को भेजी जा चुकी है। सूचनाएं (जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं थी) 17.10.2022 को ईमेल या कुरियर के माध्यम से भेजी गई है।

यदि आवश्यक हो, और आगे की जानकारी के प्रसार को सक्षम करने के उद्देश्य से, प्रत्येक आवेदक कंपनी के प्रत्येक उपरोक्त प्रतिभूतित लेनदार / अप्रतिभूतित लेनदार अपने ईमेल पते **finance@jtlinfra.com** पर एक ईमेल भेजकर अपडेट कर सकते हैं। यदि हस्तांतरिती कंपनी के किसी शेयरधारक की ईमेल आईडी अपडेट नहीं हैं, वे अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी को **beetal@rediffmail.com** पर हस्तांतरिती कंपनी के आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों के प्रयोजन के लिए, हस्तांतरिती कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग का उपयोग करने वाले इक्विटी शेयरधारक, प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित लेनदारों द्वारा वोटिंग की सुविधा संबंधित बैठकों के समय के साथ–साथ संबंधित बैठकों (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा) से पूर्व सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी जिनके नाम संबंधित सूचनाओं में वर्णित कट–ऑफ डेट्स तक दर्ज किए गए हैं। एक इक्विटी शेयरधारक/लेनदार जिसने बैठक से पहले वोट डाला है, वह भी वीसी के माध्यम से बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन अपनी संबंधित बैठकों के दौरान फिर से वोट देने का हकदार नहीं होगा।

कंपनी (समझौता, प्रबंधन और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत तहत उक्त सूचना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य संलग्नकों के साथ प्रबंधन की योजना की प्रतियां मुफ्त में संबंधित हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे (भा.मा.स) और शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) के बीच प्राप्त की जा सकती हैं और यह सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com, www.jtlinfra.com** पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, हस्तांतरिती कंपनी की प्रत्येक बैठक की सूचनाएं क्रमशः बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.msei.in** पर भी उपलब्ध हैं। चूंकि संबंधित आवेदक कंपनियों के इक्विटी शेयरधारकों और लेनदारों की बैठकें बर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और लेनदारों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। इसके अनुसार, बैठकों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

माननीय ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्रीमती मुनिशा गांधी को अध्यक्ष, श्री. विशाल अग्रवाल को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री विपुल गर्ग को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित है, तो माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./–
श्रीमती मुनिशा गांधी
उपरोक्त बैठकों के लिए
माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : चंडीगढ़
दिनांक : 17.10.2022

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

1ला तल, एससीओ–33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़
(3रे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित)

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत समन्स
मामला सं.: ओए/2480/2018

सेवा में, **इंडियन ओवरसीज बैंक** बनाम **ईजीटेक ग्लोबल**

1 **ईजीटेक ग्लोबल, मै. ईजीटेक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय है: ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, द्वारा दिवालिया समाधान कर्मी **श्री अखिलेश गुप्ता** जिनका कार्यालय है: ए–16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057

2 **श्री गोपाल कृष्ण कालरा, पुत्र स्व. श्री सीडी कालरा**, निवासी: ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, **साथ ही:** ए–40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020, सेन्ट्रल दिल्ली–110020 **साथ ही:** बी–78, सेक्टर–83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

3 **श्रीमती नीलम कालरा, पत्नी श्री गोपाल कृष्ण कालरा**, निवासी: ई–92, 2रा तल, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, **साथ ही:** ए–40, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020, सेन्ट्रल दिल्ली–110020 **साथ ही:** बी–78, सेक्टर–83, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

जैसा कि माननीय अधिकरण **रु. 13,13,04,693/–** के ऋणों की वसूली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है।

i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं कि मांगी गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए

ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उद्घाटित करना

iii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है।

vi) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित निर्मित है एवं/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किसी अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे।

v) आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा **2.11.2022 को 10.30 को पूर्वा.** में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 30.8.2022 को दी गई।

समन जारी करने वाले
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	20 अप्रैल 2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U36100HR2012PTC045685
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** कॉम्पैक हाउस, वीपीओ शादीपुर, खजूरी रोड, यमुना नगर, हरियाणा, 135001 भारत **कॉर्पोरेट कार्यालय:** 81–एएल, मॉडल टाउन, कालरा नेत्र अस्पताल के सामने, यमुना नगर–135001, हरियाणा, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**14 अक्टूबर, 2022** (आदेश की प्रति 17.10.2022 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**12 अप्रैल 2023** (दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख से 180 वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**चंदन भाटिया** **पंजी. सं.**: IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614 **एएफए वैध : 12.05.2023 तक**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**पता** : मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा – 121008 **ईमेल** : chandanbhatia.ip@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	**पता** : मकान नं. 1321, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर 29, फरीदाबाद, हरियाणा – 121008 **ईमेल** : cirp.compaqinternational@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**28 अक्टूबर, 2022**
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने दिनांक **14 अक्टूबर, 2022** को **कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (17.10.2022 को प्राप्त)।

कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **28 अक्टूबर, 2022** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
चंदन भाटिया
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कॉम्पैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P-02320/2021-2022/13614

दिनांक: 17.10.2022
स्थान: फरीदाबाद

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82/83 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **अभिषेक** पुत्र चन्द्रपाल निवासी एफ–1/186, नजदीक मुर्गी मार्केट, सुन्दर नगरी, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 धारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **अभिषेक** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा धारा 82 Cr.P.C. जारी की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 273/2016 धारा 379/411 भा.द.स. थाना मधु विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **अभिषेक** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **दिनांक 03.01.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसारः सुश्री दीपाक्षी राणा
महानगर दण्डाधिकारी 08, कोर्ट नं. 49,
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/1668/ED/22

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009, गुजरात, पिन कोडः 380009, शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस कजरिया टाइलों के ऊपर , कुकरैल पुल के पास, जर्लस्टा शोरूम के बगल में, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने आपके अचल संपत्तियों (प्रतिभूत) में अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण (ऋणों) / वित्तीय सुविधा (सुविधाओं) प्राप्त की है। आपके डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) दिनांक के तहत मांग नोटिस का विवरण, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. **उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः** शाहबाज़ खान–एच.न–115, आजाद नगर कॉलोनी, श्याम गंज, बरेली–243001 उत्तर प्रदेश और इसके अलावा–बांके हाफिजपुर मरूफ कटरा चाँद खान बरेली–243001– मोहम्मद शरीफ खान –न्यू सकलानी ऑटो मोबाइल 115 आजाद नगर कॉलोनी पीलीभीत बाई पास रोड श्याम गनी बरेली उत्तर प्रदेश– 243001; **ऋण खाता संख्या**–3028634; ऋण राशिः रु. 2505373/(रुपये पच्चीस लाख पांच हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र), **मांग सूचना** दिनांकः 29.09.2022; दावा की गई राशिः 27.09.2022 तक रु.2420199/–(चौबीस लाख बीस हजार एक सौ निन्यानवे रुपये मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य संविदात्मक ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि ; एनपीए दिनांकः 02.09.2022; **प्रतिभूति का विवरणः** हाजियापुर /कटरा चाँद खान खान तहसील और जिला बरेली में स्थित 100.00 वर्ग मीटर का घर और – निम्न रूप में चौहद्दी(इसके बाद प्रश्न में संपत्ति कहा जाता है) – संपत्ति क्षेत्रः पूर्व–भूमि कैंट क्षेत्र, पश्चिम–सरकारी सड़क , उत्तर–भूमि जमुना और दक्षिण– भूमि सरस्वती।

इसलिए आप उधारकर्ता, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होना होगा। **(उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।)** कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है और अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी गैर–अनुपालन पर उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर फोनः 9838076150, विकास आनंद – 9711010384 से संपर्क करें।

दिनांकः 17.10.2022 **स्थान** : उत्तर प्रदेश **हस्ता / –अधिकृत अधिकारी कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,**

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013, सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552
शाखा पता : टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि., 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्स., नई दिल्ली–110055

अधिग्रहण सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 22.05.2021 निर्गत की है, जिसमें ऋणकर्ता एवं सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों, अर्थात् **(1) दीप शिखा मिसरा अर्थात् दीपशिखा मिश्रा,** 6एच, टाईप–4, एमएस फ्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, मोबाइल : 9999883990, यहां पर भी : मकान संख्या ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(2) मधुर लता मिश्रा अर्थात् मधुर लता,** मकान संख्या ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, यहां पर भी : 6एच, एम.एस.डी. फ्लैट्स, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 **(3) प्रियंका मिश्रा,** मकान सं. ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खण्ड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(4) मैसर्स राघवेंद्र हॉस्पिटल,** अपने स्वामी के माध्यम से 243, शक्ति खंड–3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **(5) स्वर्गीय अनुराग मिश्रा** के विधिक उत्तराधिकारी, 6एच, टाईप–4, एमएस फ्लैट्स, मिंटो रोड, कॉम्प्लेक्स मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002, यहां पर भी : स्वर्गीय अनुराग मिश्रा के विधिक उत्तराधिकारी, मकान सं. ए के–1/98, एच.आई.जी. फ्लैट्स, अभय खंड–1, पी.एस. इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014 को ऋण खाता सं. 21779423 द्वारा **22.05.2021** के अनुसार **रु. 1,70,71,173/–(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र)** की राशि का ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि के साथ उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **13 अक्टूबर 2022** को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 1,70,71,173/–(रुपये एक करोड़ सत्तर लाख इकहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर मात्र)** की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज तथा **23.05.2021** से प्रभावी दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

संपत्तियों की अनुसूची

निर्मित संपत्ति मकान/फ्लैटसंख्या ए.के.–1/98 (एचआईजी), क्षेत्र माप 167.45 वर्ग मीटर, जो अभय खण्ड–I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका अधिक विशिष्ट रूप में उस विक्रय विलेख दिनांकित 30.12.2009 में विवरण दिया गया है जो मधुर लता मिश्रा के पक्ष में निष्पादित है। **परिसीमन इस प्रकार :** पूर्व– अन्य की संपत्ति, पश्चिम– सड़क, उत्तर– एचआईजी फ्लैट सं. 99, दक्षिण– एचआईजी फ्लैट सं. 97

दिनांकः 18.10.2022 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ई–नीलामी बिक्री सूचना

Bank of India — Relationship beyond banking

सम्पतियों की ई–नीलामी – 25.11.2022
बैंक ऑफ इंडिया जोनल कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टार हाउस", एच–2, कनॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हॉल के पास, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099

शुद्धिपत्र

यह खाता A/c ए. एस. प्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा में ई–नीलामी दिनांक 25.11.2022 के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) दिनांक 14.10.2022 में प्रकाशन का शुद्धिपत्र है।

यह शुद्धिपत्र A/c ए. एस. प्रिन्टर्स, बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा के खाते में ई–नीलामी के लिए सूचीबद्ध सम्पति का विवरण गलत छपने से संबंधित सभी संबंधितों को दिया जा रहा है.

इसे निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है:

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधक(ओं) का नाम	संपति का विवरण
1.	मेसर्स ए. एस. प्रिन्टर्स मालिक–निधी आनंद गारंटर – संजीव नाथ आनंद	अवासिय संपति भूतल पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010/560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, गाँव चंद्रावली, शाहदरा, दिल्ली–110032 में है जो श्री संजीव नाथ आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग गज है। (यह संपति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)
2.		अवासिय संपति प्रथम तल पर स्थित मकान नं. 164, खसरा नं. 1010/560, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, गाँव चंद्रावली, शाहदरा, दिल्ली–110032 में है जो श्री संजीव नाथ आनंद के नाम है। परिमाप 104 वर्ग गज है। (यह संपति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इंडिया

दक्षिणी रेलवे

(निर्माण संगठन)

ई–निविदा सूचना संख्या 23–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–303695 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 24–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–302707 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 25–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–302709 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 26–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–306536 दिनांकः 10.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 27–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304031 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 28–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304036 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 29–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–304040 दिनांकः 12.10.2022
ई–निविदा सूचना संख्या 30–सीईसीएनएमएस–ओटी–ई–307335 दिनांकः 12.10.2022

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से मुख्य अभियंता, निर्माण, दक्षिणी रेलवे, एगमोर, चेन्नई–600 008 द्वारा हमारे पोर्टल **www.ireps.gov.in** में दी गयी निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू) के अनुसार निम्नलिखित कार्य(यों) के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदक(कों)/ठेकेदार(रों) जो निविदा हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें प